न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	06/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00040
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	26.02.2020
प्रकरण में निर्णय की दिनांक	15.03.2021

उनवान

1.भैरू पि.नानू गूर्जर नि.शंभूगढ़ पटवार हल्का शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा —प्रार्थीगण

बनाम

1.धर्मा पि.सोराम गूर्जर नि.शंभूगढ़ पटवार हल्का शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

2.पांचू पि.सोराम गूर्जर नि.शंभूगढ़ पटवार हल्का शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

3.राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

4.उपपंजीयक शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा —अप्रार्थीगण

उपस्थित - वकील प्रार्थिया	(1) श्री सुरेन्द्र सैन
उपस्थित -वकील अप्रार्थीगण	(1) पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नांकित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 तथा 2 के शामलाती हक से संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एंव खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है –

ग्राम का नाम	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा
शंभूगढ़	2073 -76	465	2886/1	0.43
			2887/1	0.43
	कुल किता 2		कुल रकबा 0.86	

(2) उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का क्रमशः 1/3,1/3,1/3 हक हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है ।

(3) उक्त वर्णित आराजियात का प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं होने से प्रार्थी एंव अप्रार्थीगणों के मध्य आपस की भूमि को उपजाऊ करने में ,घास आदि लेने मे तथा लगान आदि जमा कराने में विवाद होता रहता है जिस पर प्रार्थी ने कई मर्तबा विपक्षीगण से सम्पर्क कर अपने अपने हक हिस्से की आराजियात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करा अलग से अपने अपने नाम पर खाता दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु विपक्षीगण हर बार टालमटोल करते रहे तथा विपक्षीगणों ने धमकी दी कि हम उक्त आराजियात को बिना विभाजन कराये ही अन्य लोगों को विक्रय रहन बय बख्क्षीस कर देंगे तथा तुम्हे जबरन तुम्हारी कब्जेशुदा शामलाती आराजियात से बेदखल कर देंगे । अतः उक्त वर्णित भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगणों के मध्य विभाजन किया जाकर प्रार्थी के हक हिस्से का खाता राजस्व अभिलेख में अलग किये जाने की विभाजन की डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्व विपक्षीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एंव विधिसम्मत है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:34:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

विपक्षीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि बिना विभाजन हुये विपक्षीगण उक्त आराजियात को अन्य लोगों को विक्रय रहन बय बख्क्षीस द्वारा खुर्दबुर्द नहीं करें न भारित करें एंव जबरन प्रार्थी को अपनी कब्जेशुदा आराजी से बेदखल नहीं करें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने तक अस्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित किया जाना न्यायोचित एंव विधि सम्मत है।

(4) वादी / प्रार्थी ने उक्त अनवान का एक वाद-पत्र बाबत् विभाजन आराजियात एंव स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय आप में प्रस्तुत कर दिया है जो काफी ठोस एंव मजबूत आधारों पर आधारित होने से अवश्यमेव वादी के पक्ष में डिक्री होगा।

(5) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मूल वाद के निस्तारण तक बहक प्रार्थीगण विरूद्द विपक्षी संख्या 1 व 2 के अस्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति इस आशय की पारित फरमायी जावें की उक्त वर्णित भूमि को विपक्षीगण बेचान ,रहन दान-वसीयत आदि नहीं करें ,करावें ,राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथा स्थिति बनाये रखें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें। जबरन प्रार्थी को उसकी कब्जेशुदा आराजियात से बेदखल नहीं करे ,करावे ,शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

(6) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर वे बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है। अप्रार्थी संख्या 3- 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(7) वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बेचान,रहन,दान,वसीयत आदि नहीं करें करावें के लिये तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमावें।

(8) प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायलय के क्षैत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है

(9) पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन / अध्ययन किया जिससे जाहिर आया कि उक्त विवादित आराजियात में प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाने से न्यायालय उचित समझता है और आदेश देता है कि

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाने अस्वीकार (खारिज) किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:34:18 IST
Reason: SelfAttested

(बी.एल. शर्मा)
सहायक कलेक्टर, आसीन्द जिला-भीलवाडा